

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 अप्रैल 2013—चैत्र 19, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य.—छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों से संबंधित आदेश अथवा निर्देश जारी करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित करती है, अर्थात् :—

1. अधिनियम में विहित पात्रताओं के क्रियान्वयन हेतु खाद्यान्न, नमक, दाल एवं चने का उपाजन एवं इसके आवश्यक स्कंध (संग्रह) का अनुरक्षण.
2. हितग्राहियों का चिन्हांकन, राशनकार्ड का निर्माण एवं इसके प्रदाय (वितरण) की प्रक्रिया का निर्धारण.
3. उक्त अधिनियम के अंतर्गत अन्य विभागों से संबंधित योजनाओं से संबद्ध पात्रताओं, जिनका प्रदाय (वितरण) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है, के संबंध में अन्य विभागों के साथ समन्वय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 9th April 2013

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/Food/29.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the Food, Civil Supplies and Consumer Protection to issue orders or instructions related to the following matter under his jurisdiction, namely :—

1. Procurement of food-grains, salt, pulses and gram and maintenance of its required stock for implementation of the eligibilities prescribed in the Act.
2. Fixation of the process for identification of beneficiaries, preparation of ration cards and its distribution.
3. Co-ordination with the other departments in respect of eligibilities related to the schemes concerned to other departments under the said Act, distribution of which is to be ensured through public distribution system.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य.— छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 1 मई, 2013 के रूप में वह तिथि नियत करती है जिससे उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान, अनुसूची-एक को सम्मिलित करते हुए, प्रवृत्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 9th April 2013

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/Food/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, appoints 1st May, 2013 as the date on which the provisions of Section 3, including Schedule-I, of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

